



संख्या-114/आई/1294497/2026/008-89-1002/18/2026

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-102-शिक्षुता प्रशिक्षण-03-शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-389/दस/ए०सी०-1/2230/2025-26, दिनांक 06.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-102-शिक्षुता प्रशिक्षण-03-शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत रूपये 956.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-69 के लेखा शीर्षक 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-102-शिक्षुता प्रशिक्षण-03- शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत **रूपये 956.16 लाख (रुपये नौ करोड़ छप्पन लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1)- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोग आय-व्ययक नियम संग्रह से सम्बंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। इसका भी ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) ही अकेले किसी भी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिसे करने के लिए आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जहां आवश्यकता हो, व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- व्यय करते समय मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये तथा भविष्य में जारी किये जाने वाले शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)- जीरो वेस बजटिंग के अन्तर्गत सरप्लस घोषित पदों सरप्लस घोषित टेलीफोन व वाहनों पर प्रश्रगत स्वीकृत धनराशि व्यय न की जाय अन्यथा निदेशालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)- जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकानुसार किशतों में किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27
लेखाशीर्ष: 2230031020300 (शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	01 वेतन	1,90,55,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख पचपन हजार मात्र)
2	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	03 मंहगाई भत्ता	1,23,86,000 (रुपये एक करोड़ तेईस लाख छियासी हजार मात्र)
3	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	04 यात्रा व्यय	1,72,000 (रुपये एक लाख बहत्तर हजार मात्र)
4	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	07 मानदेय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
11	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,46,000 (रुपये एक लाख छियालीस हजार मात्र)
12	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
13	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	29 अनुरक्षण	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
14	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	42 अन्य व्यय	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
15	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
16	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
17	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
18	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

19	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	49 चिकित्सा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
20	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
21	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	55 मकान किराया भत्ता	9,72,000 (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार मात्र)
23	069	2230031020300 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
	कुल			9,56,16,000 (रुपये नौ करोड़ छप्पन लाख सोलह हजार मात्र)
महायोग	9,56,16,000 (रुपये नौ करोड़ छप्पन लाख सोलह हजार मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त 5 (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर, भवन, तखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>